सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 17(ई)( )पराविं/प्र.2/BFC/2009-10/689 जयपुर, दिनांक :-05/03/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समस्त जिला परिषदो द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 आयोजित की जाकर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक जिलो में आवेदन करने के कारण नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा ज्वाईन नहीं करने के कारण जिला परिषदो में रिक्तियां रही है।

वित्त विभाग द्वारा विभिन्न जिला परिषदो द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 में कनिष्ठ लिपिक के विज्ञापित पदो के विरूद्ध कार्यग्रहण करने के पश्चात शेष कनिष्ठ लिपिक के रिक्त 10029 पदों की भर्ती प्रकियां को निरन्तर रखते हुये सशर्त नियुक्ति दिये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है, जिसमें पदो के सृजन एवं नियुक्ति के संबंध में विभिन्न स्तरों पर लिये गये निर्णयो की अनुपालना सुनिश्चित करना तथा उक्त स्वीकृत पदो पर वेतन भत्तो पर व्यय होने वाली राशि मनरेगा योजना/विभाग की अन्य योजनाओ के अन्तर्गत प्रशासनिक मद में उपलब्ध राशि से सुनिश्चित करना तथा भर्ती प्रक्रिया में वर्गवार प्रचलित आरक्षण का ध्यान रखना सम्मिलित किया गया है। वित्त विभाग की सहमति के क्रम में माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो के लिये आवश्यकता के आधार पर संबंधित वर्ग में पर्याप्त रिक्त पद भी सुरक्षित रखे जाने है।

स्वीकृत पदों के विरूद्ध दस्तावेज सत्यापन किया जाकर जिला परिषदो द्वारा जारी किये गये नियुक्ति आदेश उपरान्त अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण नहीं किये जाने के कारण उक्त रिक्तियों की श्रेणीवार आरक्षित सूची बनाई जाकर पूर्ति की जा सकती है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2001एवं दिनांक 26.4.2018 प्रचलन में है।

इस संबंध में पूर्व में हुये चयन से संबंधित न्यायिक निर्णयो की पालना में पात्र होने वाले अभ्यर्थी, जो दस्तावेजन सत्यापन के उपरान्त पात्र पाये जाते है तथा कटआफ से उपर स्थान रखते है, उन्हे मुख्य सूची में स्थान प्राप्त होगा। अतः उन्हे पूर्व में हुई नियुक्तियों की संख्या में जोडते हुये रिक्त पदो की पुनः गणना किया जाना आवश्यक होगा।

प्रतीक्षा सूची बनाये जाने के लिये दस्तावेज सत्यापन हेतु मुख्य सूची की श्रेणीवार रही कटआफ सूची के नीचे रहे अभ्यर्थियो को रिक्तियो की 3 गुणा संख्या तक बुलाये जावे, ताकि पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध हो सके। दस्तावेज सत्यापन के उपरान्त राज्य सरकार एवं पंचायती राज नियम 1996 के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित सीमा तक श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची बनायी जाकर जिला स्थापना समिति के अनुमोदन उपरान्त

नियमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किये जावे। इस संबंध में दिनांक 06.03.2019 से गतिविधियां शुरू करते हुये निम्नानुसार समयावधि के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:—

क.स.	गतिविधि	समयावधि
1	उपलब्ध श्रेणीवार कटआफ से नीचे के अभ्यर्थियों के डाटा की उपलब्धता एवं सत्यापन सुनिश्चित करना।	3 दिवस में
2	जिला परिषद द्वारा श्रेणीवार कटआफ से नीचे 3 गुणा श्रेणीवार अभ्यार्थियों का डाटा तैयार करना, जिन्हे प्रतीक्षा सूची के दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाना है, को जिला परिषदो की वेबसाईट पर अपलोड करना एवं अखबार में विज्ञप्ति जारी करना।	3 दिवस में
3	एक सप्ताह उपरान्त की किसी तिथि पर अभ्यर्थियो को दस्तावेजन सत्यापन हेतु बुलाया जाना एवं इस हेतु पर्याप्त तैयारी करना।	3 दिवस में
4	जिला कलक्टर के निर्देशनाधीन प्रतीक्षा सूची राज्य सरकार एवं पंचायती राज नियम 1996 में दी गई सीमा तक तैयार करना एवं दस्तावेज सत्यापन कार्य सम्पादित करना।	7 दिवस में
5	जिला स्थापना समिति द्वारा चयन सूची का अनुमोदन कर अभ्यर्थियो को पंचायत समिति आंवटन करना।	3 दिवस में
6	पंचायत समितियों द्वारा सफल अभ्यर्थियो के समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन संबंधित संस्थाओं से करने के बाद तथा पुलिस चरित्र सत्यापन एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि औपचारिकतायें पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी करना।	30 दिवस में

उक्त प्रकिया में पूर्व में जारी विज्ञप्ति एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशो की पालना सुनिश्चत की जावे। उक्तानुसार कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

5/3

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त ।

5/3/2019

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त